जिलाधिकारी, दरभंगा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित अम्बेदकर सभा कक्ष में दिनांक–10.3.2016 को पंचायत आम निर्वाचन 2016 के सफल संचालन हेतु सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः पंजी के अनुसार।

01. मतदाता सूची कोषांगः–

1. समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मतदाता सूची की फोटो कॉपी वेंडर से नहीं मिली है जिसे प्राप्त करने का निदेश दिया गया। विधान सभा चुनाव के दौरान जो वेंडर रहे हैं, वही पंचायत चुनाव में भी हैं। मतदाता सूची का विखण्डीकरण ~~कब से~~ कब से करना है उसके लिए प्रोग्राम बनाकर प्रस्तुत करने का निदेश कोषांग प्रभारी को दिया गया।

2. मतदाता सूची वार्डवार बनायी जा रही है। जाले प्रखण्ड में प्रथम चरण में मतदान होना है। उक्त प्रखण्ड के साथ अन्य प्रखण्डों का भ्रमण कर उसका निरंतर अनुश्रवण करें। वाहन की उपलब्धता हेतु अधियाचना पत्र भेजा जाय।

02. मतदान केन्द्र बुनियादी सुविधा कोषांगः–

1. नोडल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि विद्यालयों में जो बुथ हैं उनमें कोई समस्या नहीं है। आँगनवाड़ी केन्द्रों का अपना भवन एवं चापाकल है। सामुदायिक केन्द्रों में शौचालय की असुविधा है। इसके लिए सर्व शिक्षा के द्वारा कार्य किए जाएँ। किन–किन प्रखण्डों में क्या–क्या कमी है, उसके बारे में जानकारी लेकर वहाँ आवश्यकतानुसार अस्थायी शौचालय बनाने का निदेश दिया गया।ए जाएँ। इसके लिए संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (निर्वाची पदाधिकारी) को पत्र देने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त खराब चापाकल को ठीक कराने तथा सभी आवश्यक बुनियादी समस्या के बारे में 12.3.16 तक स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया।

03. कार्मिक कोषांग :–

1. बताया गया कि सभी प्रकार के कार्मिकों का डाटा प्रविष्टियाँ तैयार हैं। गत विधान सभा चुनाव के दौरान 14000 कार्मिकों का डॉटा बेस के अनुसार प्रखण्ड/अंचल/ पी.एस.यू. के कर्मियों को छोड़कर सभी की सेवा ली जाएगी। कार्मिकों का डॉटा बेस पर्याप्त बताया गया। इसमें से निर्धारित चरण वार कार्मिकों का नियुक्ति पत्र जारी की जाएगी। दिनांक 28.3.16 से कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। निदेशित किया गया कि मतदान केन्द्रों की सूची कार्मिक कोषांग को ससमय उपलब्ध हो जानी चाहिए। सूची की सॉफ्ट कापी कल दिनांक 11.3.16 तक निश्चित रूप से कार्मिक कोषांग को मतदाता सूची कोषांग के नोडल पदाधिकारी उपलब्ध करा देंगे। 12.3.16 तक प्रथम नियुक्ति पत्र अवश्य जारी हो जाएँ, यह सुनिश्चित की जाय। एन.आई.सी. कोषांग चुनाव कार्मिकों का नियुक्ति पत्र निकाल कर देंगे जिसे संबंधित कार्मिकों को तामिला कराया जाएगा। नोडल पदाधिकारी अपने नेतृत्व/मार्ग दर्शन में उक्त कार्य का सम्पादन सुनिश्चित करें। कार्मिक कोषांग मतदान दल तथा गश्ती दल आदि की नियुक्ति संबंधी कार्य एवं अन्य कोषांग गत विधान सभा चुनाव के कार्य पद्धति के अनुसार अपने–अपने कार्य सम्पादित करेंगे।

04. सामग्री कोषांगः–

नोडल पदाधिकारी आज अवकाश पर हैं। मतदान कार्य हेतु चुनाव सामग्री के लिए अधियाचना प्राप्त होने की सूचना दी गयी। इसे प्रखण्डवार बराबर–बराबर बांट देने का आदेश था। इसके लिए संबंधितों को आदेश जारी है। वेंडर प्रखण्डवार सामग्री का बंडल बनाकर सर्वप्रथम सामग्री कोषांग को उपलब्ध करायेंगे जिसे पुनः प्रखण्डों को उपलब्ध कराया जाएगा। मतदान की तिथि से 10 दिन पूर्व सामग्री कोषांग को पहूँच जाना चाहिए। सामग्री कोषांग प्राप्त किए गए थैला की सामग्रियों को को चेक लिस्ट से मिलान/जाँच कर आश्वस्त हो लेंगे। यह आवश्यक है।

05. वाहन कोषांगः–

1. नोडल पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि वाहन का लॉग बुक तथा अधियाचना दे दी गयी है। निदेश दिया गया कि वाहन की आवश्यकता का आकलन पहले कर लेंगे। इसके लिए प्रखण्डों से

डॉटा शीघ्र ली जाय। इसके साथ मतदान दल/गश्ती दल की सम्बद्धता सूची भी लें ताकि कितने वाहन प्रयुक्त करने होंगे, वह ज्ञात हो सके। सभी कार्य सम्यक रूप से सम्पादित की जाय।

06. प्रशिक्षण कोषांगः–

1. नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार बताया गया। यह 28 मार्च से चुनाव तक चलेगा जो जिला स्तर पर दो तथा प्रखण्ड स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे। मतगणना कार्य के लिए भी Training schedule तैयारी कर ली गयी है। मतगणना एक प्रखण्ड में एक स्थान पर होगा। जिस ग्राम पंचायत में जितनी वार्ड संख्या होंगी, उतनी मतगणना टेबल लगायी जा सकेगी। सभी कार्य सम्यक रूप से सम्पादित किए जाएँ। होली त्यौहार से पहले तक जिला में प्रशिक्षण हेतु शामियाना/टेंट की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर अवश्य कर ली जाय। इसके लिए अधियाचना प्रस्तुत करने का निदेश नोडल पदाधिकारी को दिया गया।

07. मतपत्र कोषांग :–

1. बताया गया कि मतपत्र मुद्रण हेतु टीम बना ली गयी है तथा किस तिथि को कौन निर्वाची पदाधिकारी आएँगे, वह भी निश्चित कर दी गयी है। मतपत्र के लिए बज्र गृह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (निर्वाची पदाधिकारी) बनाएँगे। निदेशित किया गया कि डिस्पैच सेंटर, स्ट्रांग रूम तथा मतगणना स्थल से संबंधित प्रस्ताव प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से अविलंब विहित प्रपत्र में प्राप्त कर ली जाय।

08. विधि–व्यवस्था कोषांगः–

1. समीक्षोपरान्त पाया गया कि अभी तक किसी प्रकार का आर्म्स जप्त नहीं की गयी है। छापामोरी की स्थिति भी शुन्य है। मतदान केन्द्र भवनों की संख्या 2554 हैं तथा मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 4557 हैं। फोर्स का आकलन कर लिया गया है। जिला में 1338 होम गार्ड बल उपलब्ध हैं। नोडल पदाधिकारी द्वारा यह भी सूचित किया गया कि सेक्टर दण्डाधिकारी, PCCP का मार्ग तालिका अभी नहीं आया है। PCCP tagging अभी अप्राप्त हैं। निदेशित किया गया कि नोडल पदाधिकारी इसका अनुश्रवण कर इसे प्राप्त करें और उस पर सम्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संपर्क कर इसे प्राप्त करने की कार्रवाई करें। जिला परिवहन पदाधिकारी मार्ग तालिका प्राप्त कर संकलित करें।

09. आई. टी. कोषांगः–

1. बताया गया कि डॉटा बेस तैयार हैं। प्रथम नियुक्ति पत्र कल–परसों तक मिल जाय, यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। खासकर 21.3.16 से विद्यालय होली त्योहार के लेकर बंद रहेंगे। ऐसे में उक्त कार्य में तत्परता बरतने की आवश्यकता है। 12.3.16 तक प्रथम नियुक्ति पत्र हर हाल में तैयार कर ली जाय। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि कम्प्यूटर में व्यवहार हेतु कार्टिज आदि के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है। इसके लिए वेंडर को आदेश दे दी गयी है जो सामग्रियों की आपूर्त्ति कर देंगे।

10. आदर्श आचार संहिता कोषांग :–

1. एक प्राथमिकी दर्ज किए जाने की सूचना दी गयी। ऐसे अन्य मामलों का पता लगाकर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

11. निर्वाचन व्यय कोषांगः–

1. चुनाव लड़नेवाले अभ्यर्थियों के द्वारा चुनाव खर्च से संबंधित ब्यौरा एक पंजी में दर्ज की जाएगी जिसकी जाँच निर्वाची पदाधिकारी –सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी करेंगे। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तत्संबंधी एक निदेश पत्र सभी निर्वाची पदाधिकारियों को दी गयी है। निर्वाची पदाधिकारी इसके लिए एक कोषांग का गठन करेंगे। चुनाव खर्च की जाँच हेतु तिथि का निर्धारण एवं अभ्यर्थियों को व्यय पंजी लेकर उपस्थित होने की सूचना निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

12. मिडिया कोषांग :– नोडल पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित हैं जिसके कारण इस कोषांग की समीक्षा नहीं की जा सकी।

13. संचार कोषांगः–

1. कुल 4557 मतदान केन्द्रों के लिए पर्याप्त संख्या में संचार पुस्तिका उपलब्ध करायी जानी है। इसको देखते हुए संचार कोषांग मे कार्य हेतु तत्काल तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता बतायी

Sd/-

गयी। नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया वे इसके लिए कार्मिक कोषांग को अधियाचना विशिष्ट नामों सहित दें। नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग तदनुसार उक्त कर्मियों को उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें। संचार पुस्तिका प्रखण्डवार तैयार की जाय। मुद्रित पुस्तिका की संख्या के बारे में आकलन भी कर ली जाय।

14. जन शिकायत/हेल्प लाईन कोषांग :–

1. बताया गया कि पंचायत चुनाव हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित हैं। चुनाव से संबंधित प्राप्त शिकायतों के लिए एक पंजी संधारित कर ली गयी है। कोषांग में स्टाफ भी पहले से प्रतिनियुक्त हैं। शिकायतों को दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।

15. प्रेक्षक कोषांग :–

1. जिला में पाँच चुनाव प्रेक्षकों की नियुक्ति की गयी है। निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में उनके जिला में आगमन के साथ हीं उनके लिए वाहन, आवासन तथा भोजन की व्यवस्था की जानी है। उनके लिए एक–एक पी.एस.ओ. की प्रतिनियुक्ति भी की जाय। इसके अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन–2016 से संबंधित आवश्यक विषय सामग्रियाँ/अनुदेश आदि एक फोल्डर के रूप में उन्हें उपलब्ध करा दी जाय। प्रेक्षक कोषांग इसे सुनिश्चित करेंगे। प्रेक्षक के लिए वाहन की व्यवस्था जिला परिवहन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उनके लिए वाहन में इंधन की व्यवस्था तथा आवासन एवं भोजन की व्यवस्था नजारत उप समाहर्त्ता करेंगे।

Sd/-

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक 387 /जि0 पंचा0, लहेरियासराय, दिनांक 12/3/16 2015

प्रतिलिपिः वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः समाहरणालय स्थित सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, /वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा/उप निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा/बेनीपुर एवं बिरौल/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, दरभंगा/बिरौल एवं बेनीपुर को सूचनार्थ एवं सम्यक रूप से सभी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (निर्वाची पदाधिकारी)/सभी अंचलाधिकारी (सहायक निर्वाची पदाधिकारी)/ को सूचनार्थ एवं सम्यक रूप से सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।